

I MUSI

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 1,90,74,603.00 रुपये।

स्टाम्प : 13,35,300.00 रुपये। CHALLAN No

14,171,748/24-XII-20/0

हम कि रामकुमार उर्फ छंगा पुत्र श्री डिप्टी व श्रीमती बलेश देवी पत्नी श्री डिप्टी  
गिवारसी-ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी ताहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध  
नगर (फरीक अवल, विक्रेता)।

एवम

गैरार्स सम्पल वददा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस  
कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी  
सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक नोयम/क्रेता)।

रामकुमार

सि. कलेश देवी

For Uppal Ex.

Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory



दैनामा 130 74 6031

निबन्धन शुल्क -10,000/-रुपये उजरत 20/ रुपये  
योग-10,020/ रुपये शब्द लगभग 600

श्री/श्रीमती श्री. अम्बादेव शर्मा पेशा की

पुत्र/पत्नी की दिपती

निवासी- श्री. अम्बादेव शर्मा का 33 कम्युनिटी

ने कार्यालय सबरजिस्ट्रार दादरी जिला गौठुद्धनगर

मे आज दिनांक 24-12-2010 को समय 4 व 5 के

मध्य प्रस्तुत किया है।

सबरजिस्ट्रार दादरी

24-12-2010

21/12/10

इस लेखपत्र का सम्पादन एवं इसमें लिखित जरे  
बदल मु0 130746031 प्रलेखानुसार पाकर उक्त

श्री श्री. अम्बादेव शर्मा का

कीर्ति अम्बादेव शर्मा की दिपती का 33

प्रथमपक्ष ने स्वीकार किया व तकमील से श्री दीपक  
पाठक पुत्र श्री अम्बादेव पाठक निवासी-33 कम्युनिटी  
सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा मैसर्स उप्पल  
चदढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वितीय पक्ष ने भी  
स्वीकार किया



**विक्रीत भूमि का विवरण**

(1) स्थित ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०), कृषि भूमि खाता नं० 172 के खसरा नं० 744 रकबा 0.421 हैक्टे० का पूर्ण भाग व खाता सं० 558 के खसरा सं० 110 रकबा 2.217 है० में से 0.9085 है० इस प्रकार कुल रकबा 1.3295 है० का प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1409-1414 फसली जिसका फरीक अखिल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा हग विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्फैल रेट 8000000/- रुपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200/- प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 1,90,74,603/- रुपये (एक करोड़ नब्बे लाख चौहत्तर हजार छ सौ तीन रुपये मात्र) हम तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राग समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विनाद है विक्रीत भूमि विक्रय हग स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

21/10/2024

नि. विक्रेता

For Uppal Ltd.

ch Developers Pvt. Ltd.

for Uppal Ltd.



21/10/2024

जिनकी पहचान श्री अनिल पेशा भापा

पुत्र श्री राज कुमार

निवासी ग्राम अर्धरी वासनाधीन तह. ठा. ८८१

व श्री राजु भागा पेशा भापा

पुत्र श्री राजीव

निवासी ग्राम उन्न.

ने की

सबरजिस्टार दादरी  
24-12-2010

क्र. नि. १८६३ देवी



( 3 )

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आड़, रहन, बय, हिमै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रुप आदि हम ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ङयूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय हम न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निजीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिलिकयत उक्त के विक्रय हम कोई दोष व त्रुटी नहीं है हर प्रकार के बाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखत भूमि के संबंध हम मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक हम कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय हम पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्ण हम न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य हम इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र हम वर्णित उक्त भूमि खाता नं० 172 के खसरा नं० 744 रकबा 0.421 हैक्टे० का पूर्ण भाग व खाता सं० 558 के खसरा सं० 110 रकबा 2.217 है० में से 0.9085 है० इस प्रकार कुल रकबा 1.3295 है० स्थित ग्राम कवैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय रामस्त अधिकार मालिकाना, काविजाना, दाखिली-खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा।

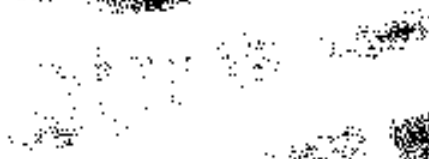
रामचन्द्र

मि. बरजामंदी

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

पुस्तक



साथी भने गंभीर होने है चिन्ह  
मंगुठा निम्नलिखित लिये गये है

डा. निरंजन  
दादरी, गौतम बुद्ध नगर

उपस्थिति



निर्देश



( 4 )

है आदि आदि को आज की तारीख हम विक्रय धनराशी अंकन 1,90,74,603/- रुपये (एक करोड़ नब्बे लाख चौहत्तर हजार छ सौ तीन रुपये मात्र) जिसके आगे अंकन 95,37,301.50/- (पिचानवे लाख सैंतीस हजार तीन सौ एक रुपये पचास पैसे मात्र) होते हैं के एवज में बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बेच कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नहीं रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग हम लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बावत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते हैं, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिल्कियत भूमि हम निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के

राम कुमार



अम्बादत्त पाठक



For Uppal Chaddha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory







( 5 )

उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसका उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को गय हर्जें स्वयं प्रथम पदा विक्रेता व विक्रेता वारिसा-गकी बल व अव्वल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त स्वर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र लघुब सोय सगझ कर, सुनकर पढ कर गवाहों की उपस्थिति हम लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 1.3295 हैक्टेयर, खाता नं० 172 के खसरा नं० 744 व खाता सं० 558 के खसरा सं० 110 स्थित ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:

रामगुप्त

मि. बलराम देवी

For Uppr ...

Part 1/1

Patel  
Signed Signatory





( 6 )

(15) बैंक ऐविसरा बैंक लि० गाजियाबाद शाखा गाजियाबाद का बैंक नंबर 263396 अंकन 94,37,301/- (चौरानवें लाख सैंतीस हजार तीन सौ एक रुपये मात्र) व बैंक नंबर 263399 अंकन 95,37,301/- (पिचानवें लाख सैंतीस हजार तीन सौ एक रुपये मात्र) तथा अंकन 1,00,000/- रु० नगद दिनांकित 24.12.10 फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्ता कर ली गयी है।

राम कुमार

नि० तेजेंद्र सिंह

For Upal Chandra in Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)  
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)  
फरीक दोसग (क्रेता)

गवाह नं० 1

आनंद उ० रामकुमार  
जयपेडा बाराबंखाबाद जौं कुंवार



गवाह नं० 2

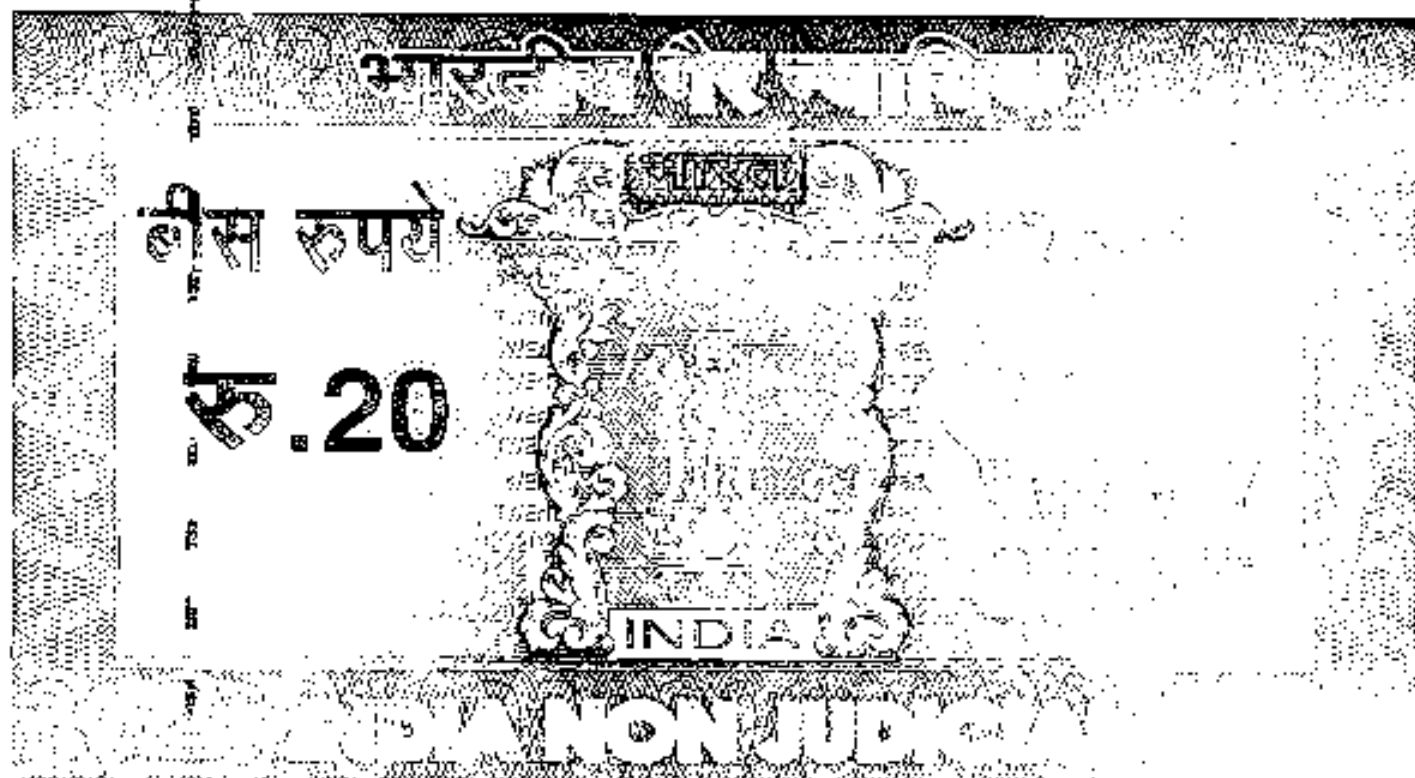
राम कुमार उ० बख्शीरजिंद  
जयपेडा बाराबंखाबाद जौं कुंवार



तहरीरी दिनांक: 24-12-2010 मसौदा तेजेंद्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद

तेजेंद्र सिंह  
Advocate  
24/12/10





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AA 153012

Stamp duty paid in cash certificate in favour of-M/S UPPAL CHADDHA  
HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW  
FRIENDS COLONY , NEW DELHI

In pursuance of the order of the collector

NO...memo....dated.24.12.10 passed under

Section 10-A of the stamp act.It is certified that an  
amount of Rs.13,35,300-00(Inwords Rs.Thirteen-lacs thirty five thousand-  
three hundred only)

has been paid in cash as stamp duty in respect  
of this instrument in the State bank of India/

Treasury/Sub treasury ...NOIDA

By Challan No...N../71748..... dated.24.12.10

A copy of which is annexed herewith.

24/12

GPT

Dated 24/12

Senior Treasury Officer  
Gautam Budh Nagar

नं. 846 में शामिल  
किया गया।  
23 DEC 2010  
शेकडिया  
कोषागार/गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र

Mrs. Uppal Chadda Fintech Developers  
Pvt. Ltd. Noida

24/12/10  
आम आवेदन संख्या 3072  
प्रति पुस्तक संख्या 1445  
पृष्ठ संख्या 17 पर क्रम संख्या 30  
पर निवेदन किया गया।

अपनी निवेदन  
दाखिल













सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

उ० प्र० स० शाखा विकास वि०  
दादरी

163

विशय : अनापत्ती प्रमाण पत्र ( एन० ओ० सी० ) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका  
खाता संख्या 132558 खसरा नम्बर 100 रकबा 100 स्थित ग्राम उन्नेडा -  
वारसावा परगना दादरी व तहसील दादरी जिला जो० ब० नगर  
। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि में उपर्युक्त पट्टा हाईटेक डेवलपर्स प्रा० लि०  
को देवना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की  
आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।  
अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०)  
प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

राम कुमार ठाकुर व गंगा डी डिडी  
सुमिनी बलेशदेवी व जिडी  
नि. व. प. स. (म. म. म. म.)

No. 163  
प्र  
2/11/11

सेवा में

शाखा प्रबन्धक

पी.एम. की

छपरी ला

149

विशय : अनापत्ती प्रमाण पत्र ( एन० ओ० सी० ) के सम्बन्ध में

महोदय,

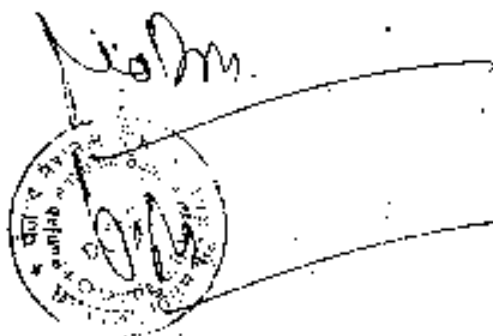
श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका  
खाता संख्या 172588 खसरा नम्बर 1008 रकबा स्थित ग्राम उर्चेडा --  
वारसाबाद परगना दादरी व तहसील दादरी जिला गो.ब. नगर  
। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि में रुपयल चंदा हाईटेक डेवेलपर्स प्रा० लि०  
को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की  
आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०)  
प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

राम कुमार ठंडे चंगा 8/1 डिस्ट्री  
सिमरी बलेशदेवी 20/ डिस्ट्री



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 442359

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक ..... स्थान गाजियाबाद में श्री .....  
तहसील ..... पुत्र/पति .....  
निवासी ग्राम ..... परगना ..... तहसील .....  
व जिला .....

प्रथम पक्ष

एवं

गै0 उषल चढडा हाईटैक डवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33 कम्यूनिटी  
सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा ..... पुत्र .....

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम ..... परगना व तहसील .....  
जिला ..... में स्थित भूमि खाता सं0 ..... खसरा सं0 .....  
..... कुल रकबा ..... हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का  
संक्रामणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम  
दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नहीं  
है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या  
कोई केस नहीं चल रहा है।

21/05/2011

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्ज सरकारी व गैर सरकारी आदि से پاک व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक ..... को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार दादरी कार्यालय में बही सं० 1 के पुस्तक सं० ..... पृष्ठ ..... पर क्रम सं० ..... पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर 400 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु० ...../- द्वारा चैक नं. .... दिनांक ..... बैंक ..... द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन ..... रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लॉट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. 400 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित धनराशि ..... दोनों पक्षों को मान्य है।
2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।
3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नहीं रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।
4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के मूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु ..... द्वारा चैक सं० ..... दिनांक ..... बैंक ..... से प्राप्त कर लिये है।
5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरूप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किराी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

२१/११/११



अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

21.12.11



प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.